राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 1468 जी.एस.
दिनांक 27/7/ २००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-८६१५ /सम्बद्धता/२००५ दिनांक ३०.४.२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१६७३ की धारा ३७(२) के अधीन पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर,मुहम्मदाबाद गोहना,मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, उर्दू,अंग्रेजी, गृहविज्ञान,समाजशास्त्र,इतिहास विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
२. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद
३. प्राचार्य, पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर,मुहम्मदाबाद गोहना,मऊ

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

संख्या—1620 / सत्तर—6—2010—2(170) / 2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग—6 — लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2010

विषयः— महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—पूविवि / सम्बद्धता / 02—19(एक) / 2010 / 2711, दिनांक 29.04.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के अधीन पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2009—10 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2010 से शैक्षिक सत्र 2010—11 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः—

1. घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010—11 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या—1620(1) / सत्तर—6—2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 266 / सत्तर–6–2012–2(280) / 2012

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2012

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0 / सम्बद्धता / 02–19(एक) / 2012 / 12282, दिनांक 18.07.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संगीत, अरबी एवं मनोविज्ञान अतिरिक्त विषयों तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र एवं उर्दू विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2012 से क्रमशः आगामी तीन वर्षों एवं दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 266(1) / सत्तर–6–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब. 234/सत्तर–6–2014–2(179)/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/03–(एक)/2014/6958 दिनांक 30–04–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के अधीन पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, वरामदपुर मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ को स्नातकोत्तर स्तर एम0ए0 पाठ्यक्रम के उर्दू एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2013–14 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01–07–2014 से शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. शैक्षिक सत्र 2013–14 का परीक्षाफल शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में प्रश्नगत सशर्त पूर्वानुमति के आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01–07–2014 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब. 234(1)/सत्तर–6–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3 अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4 प्रबन्धक, पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, वरामदपुर मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ।
5 विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 157/सत्तर–6–2011–2(612)/2008

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2011

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0/सम्बद्धता/02–24(एक)/2011/5575, दिनांक 18.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत भूगोल, राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र अतिरिक्त विषयों तथा बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. शैक्षिक सत्र 2010–11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011–12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 157(1)/सत्तर–6–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, पब्लिक महिला सहर डिग्री कालेज, बरामदपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।